

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर—प्रथम

क्रमांक : स्था / 09 / 2023 / ३७५।

दिनांक : १३ सितम्बर, 2023

— : आदेश : —

श्री भीमराज रौनी, लिपिक ग्रेड-II, न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-5, जयपुर महानगर—प्रथम को आगामी आदेश तक न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (पूर्व), जयपुर महानगर—प्रथम में पायलट स्टडी विशेष न्यायालय (एन.आई. एक्ट प्रकरण), जयपुर महानगर—प्रथम से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

नोटः—

- a) उक्त कर्मचारी का वेतन उनके पदस्थापन न्यायालय द्वारा आहरित किया जावेगा। उक्त कर्मचारी अपनी उपस्थिति कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय में अंकित करेंगे तथा इनका आकस्मिक अवकाश भी कार्य-निष्पादन वाले न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जावेगा। इनकी उपस्थिति बाबत् सूचना नियमानुसार पदस्थापन न्यायालय को भिजवाई जावे।
- b) उक्त कर्मचारी को अपना समस्त चार्ज/मालखाना/फाईलों आदि का लेन-देन करा कर (यदि कोई हो) नवीन पदस्थापन न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अविलम्ब आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जावे।

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर—प्रथम

क्रमांक : स्था / 09 / 2023 / ३७५।

दिनांक : १३ सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर—प्रथम
- 02 संबंधित न्यायालय/कर्मचारी जयपुर महानगर—
- 03 वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर—प्रथम
- 04 सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
- 05 निजी पत्रावली संबंधित कर्मचारी
- 06 आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

नोट

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जयपुर महानगर—प्रथम